

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सत्य नारायण-1 (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 283/2025
दायर दिनांक :- 17.09.2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/522
निर्णय दिनांक :- 10.03.2026

1. जोराराम पुत्र बाकाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थीगण-

बनाम

1. बाबूराम पुत्र पेहलादराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. मालाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. कालूराम पुत्र रामचन्द्र जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी
4. सुलोचना पत्नी महीपाल जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
5. परमा पुत्री लेखाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
6. मांगीलाल पुत्र लेखाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
7. मीरा पत्नी लेखाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
8. समा पुत्री लेखाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
9. सोपारी पुत्री लेखाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
10. धूडाराम पुत्र जोधाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
11. पुखराज पुत्र धूडाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
12. ऐलची पुत्री बिडदाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
13. कमला पत्नी सुखराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
14. किसनाराम पुत्र बिडदाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
15. दिनेश कुमार पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
16. पेम्पादेवी पत्नी बिडदाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
17. मोहनराम पुत्र बिडदाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
18. समता पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
19. कमला पत्नी हजारीराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
20. किसनाराम पुत्र नरुराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
21. किसनी देवी पुत्री नरुराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
22. जयराम पुत्र धूडाराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
23. मनोहरराम पुत्र नरुराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
24. मोहनी पत्नी हरमलराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
25. श्यामसुन्दर पुत्र हरमलराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
26. समदा पुत्री नरुराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
27. हजारीराम पुत्र हरमलराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
28. रोशनी पत्नी जोराराम जाति विश्नोई निवासी शेरणीनगर, जाम्बा तहसील जिला फलोदी
29. ग्राम पंचायत जाम्बा, पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी
30. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण-

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

Saty
न्याय सहायक अधिकारी

--: निर्णय :-

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 97/1 रकबा 5.6656 हैक्टेयर सरहद मौजा शेराणीनगर पटवार क्षेत्र जाम्बा तहसील बाप जिला फलोदी(राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू-नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर उप तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 02.06.2025 को जारी आदेश कम संख्या 2025/49606/1 की पालना में दिनांक 12.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ोसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 12.06.2025 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 29 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थीगण को तारबन्दी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबन्दी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबन्दी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 12.06.2025 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 30 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि ग्राम शेराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 97/1 रकबा 5.6656 हैक्टेयर भूमि का मौका कमिश्नर नियुक्त कर नेखमबदी आदेश जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 29 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम शेराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 97/1 रकबा 5.6656 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबन्दी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 12.06.2025 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम शेराणीनगर पटवार हल्का

Sakhe.
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 97/1 रकबा 5.6656 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 12.06.2025 के अनुसार करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शोराणीनगर पटवार हल्का जाम्बा तहसील बाप के खसरा नम्बर 97/1 रकबा 5.6656 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी पैमाईश फर्द दिनांक 12.06.2025 के अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 1000/- प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Sahje..
(सत्य नारायण सास) (Sas)
उप सहायक कलेक्टर एवं
बाप (फलोदी) अधिकारी
बाप (फलोदी)